

FORM NO III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

ज. अदालत उपखण्ड अधिकारी अराई

मुकाम अराई (अजमेर)

• उगमानाथ पुत्र श्री देवीनाथ कौम जोगी निवासी ग्राम गेहलपुर तहसील अराई जिला अजमेर  
राज.। -वादी

बनाम

• श्योजीनाथ पुत्र श्री देवीनाथ जाति जोगी निवासी ग्राम भूडोल तहसील व जिला अजमेर  
राजस्थान वगै. -प्रतिवादीगण

किस्म मुकदमा- 88,188,92अ राज0 का0 अधि0 1955

नंबर 26 / 2022

ऑनलाइन नंबर 2022 / .....

वकील वादी विजेन्द्र सिंह

वकील प्रतिवादीगण.....

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|--|
| 20.05.2022  | यह वादपत्र वादीगण की ओर से वकील श्री विजेन्द्र सिंह ने अन्तर्गत धारा राज. का. अधि. धारा 88,188,92अ के तहत पेश किया। वादपत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, वकील वादीगण को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 17.06.2022 को पेश हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>अराई |  |
| 17/6/2022   | पत्रावली पेश की वकील वादीगण वकील वादी द्वारा अडिस्ट्रिक्टा पर अंकित किया गया कि वे जवाब अब आगे नहीं चलाना चाहते अतः डाकनेट जमा किया जाये और डाक वकील वादी को सुनाया जाये। 17.06.2022 को त्वर पर नोटिस में खारिज किया जाता है। पत्रावली जमा कर डाकनेट नम्बर को कम की।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>अराई (अजमेर)                            | दस्तावेज लगे<br>माइटी को<br>विजेन्द्र सिंह           |

